केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 599/टीएल/2020 दिनांक: 1.2.2021

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

वापी–।। नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, एफ–1, द मीरा कॉर्पोरेट सूट्स, 1 एवं 2 ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली – 110065 द्वारा निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव के संबंध में "पश्चिमी प्रदेश सुदृढ़ीकरण योजना – XIX (डब्ल्यूआरएसएस–XIX) और उत्तर–पूर्वी प्रदेश सुदृढ़ीकरण योजना – IX (एनईआरएसएस–IX)" के लिए पारेषण लाईन के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है.

क्र. सं.	पारेषण तत्व का नाम	लाईन की लंबाई (किमी में)	प्रभावी तारीख से निर्धारित सीओडी
भाग क: बनासकांठा 765/400 किलोवाट सबस्टेशन से अतिरिक्त 400 किलोवाट आउटलेट			
1.	बनासकांठा (पीजी) पीएस पर जर्दा–रणछोड़पुरा 400 किलोवाट डी/सी लाईन के द्वितीय सर्किट का लीलो	17.84	28 मास
भाग ख: वापी/अंबेठी क्षेत्र और इससे संबद्ध पारेषण लाईनों पर नए सबस्टेशन का निर्माण			
1.	वापी/अंबेठी (वापी–।।) के समीप 2x500 एमवीए, 400/220 किलोवाट जीआईएस सबस्टेशन का निर्माण	-	34 मास
2.	वापी–।। पर केएपीपी–वापी 400 किलोवाट डी/सी लाईन का लीलो	5.96	34 मास
3.	वापी –।। सबस्टेशन पर 125 एमवीएआर बस रिएक्टर बस रिएक्टर: 1x125 एमवीएआर – बस रिएक्टर बे: 1 संख्या – 420 किलोवाट अतिरिक्त बस रिएक्टर के लिए स्थान 1 संख्या	-	34 मास
4.	वापी –।।–सयाली 220 किलोवाट डी/सी लाईन – ट्विन जेबरा कंडक्टर के बराबर एमौसिटी के साथ सयाली सबस्टेशन पर वापी (पीजी)–खडोली 220 किलोवाट डी/सी लाईन के एक सर्किट के लीलो प्वाइंट तक वापी–।। से – वापी–।।–सयाली 220 किलोवाट डी/सी लाईन और वापी–खडोली 220 किलोवाट डी/सी लाईन को बनाने के लिए लीलो अनुभाग (सयाली सबस्टेशन पर वापी (पीजी)–खडोली 220 किलोवाट डी/सी लाईन के एक सर्किट के लीलो का) के साथ अंतरसंयोजन	19.87	34 मास
भाग ग: पावरग्रिड के नवी मुंबई 400/220 किलोवाट सबस्टेशन के लिए अतिरिक्त आईएसटीएस फीड			
1.	पड़गे (पीजी) – खारघर 400 किलोवाट डी/सी (क्वाड) लाईन को खारघर -- घाटकोपर 400 किलोवाट डी/सी (क्वाड) लाईन के एक सर्किट में समाप्त करने के लिए (इस प्रकार पड़गे (पीजी) -- खारघर 400 किलोवाट एस/सी (क्वाड) लाईन, पड़गे (पीजी) --घाटकोपर 400 किलोवाट एस/सी (क्वाड) लाईन बनाने के लिए)	68.76	42 मास
2.	नवी मुंबई जीआईएस (पीजी) (क्वाड कंडक्टर के साथ) पर पड़गे (पीजी) –घाटकोपर 400 किलोवाट एस/सी लाईन का लीलो	16.31	42 मास
3.	नवी मुंबई (पीजी) पर आप्ता –कल्वा/तलोजा 220 किलोवाट डी/सी लाईन (अर्थात् आप्ता– कल्वा और आप्ता – तलोजा 220 किलोवाट लाईनें) का लीलो	2.55	30 मास
भाग घ: उत्तर पूर्वी प्रदेश सुदृढ़ीकरण योजना – IX			
1.	उत्तर लखीमपुर सिरे पर 2 संख्या 132 किलोवाट लाईन बे के साथ परे एचईपी (नीपको) (लीलो प्वाइंट के समीप से) – उत्तर लखीमपुर (एईजीसीएल) 132 किलोवाट डी/सी लाईन (एसीएसआर जेबरा कंडक्टर के साथ)	29.52	36 मास
2.	निर्जुली (पावरग्रिड) सब–स्टेशन पर परे एचईपी–उत्तर लखीमपुर (एईजीसीएल) 132 किलोवाट डी/सी लाईन (एसीएसआर जेबरा कंडक्टर के साथ) के एक सर्किट का लीलो	13.08	36 मास

2. आवेदनकर्ता का चयन अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 2565.92 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में किया गया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 599/टीएल/2020 में दिनांक 1.2.2021 के आदेश द्वारा ऊपर पैरा 1 में उल्लेखित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव दिया है।
4. वापी– ।। उत्तर लखीमपुर पारेषण लिमिटेड को अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष संलग्नकों और अनुलग्नकों के साथ किए गए आवेदन की प्रति वेबसाइट www.sterlitepower.com से प्राप्त की जा सकती है या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आयोग के कार्यालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित की जा सकती है।
5. अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदक, यथोपरोक्त, को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हो, ऊपर दिए गए पते पर दिनांक 20.2.2021 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजे जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आवेदन पर आयोग द्वारा आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित समय में विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करता है, अपने विवेक से सुनवाई में सम्मिलित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए /डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(सनोज कुमार झा)
सचिव